

मास्टर परिपत्र
निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा
विषय - सूची

1. परिचय
2. सहभागी
3. सीमा
4. ब्याज दर
5. मार्जिन अपेक्षा
6. अवधि
7. संपार्श्विक
8. न्यूनतम उपलब्ध रशि
9. प्राप्ति का स्थान
10. चुकौती
11. दण्ड
12. प्रलेखीकरण
13. रिपोर्टिंग - अपेक्षा
14. शर्त
15. संलग्नक
 - क. रिपोर्टिंग हेतु फार्मेट
 - ख. परिभाषाएं
 - ग. फॉर्म
16. परिशिष्ट : परिपत्रों की सूची

निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा संबंधी मास्टर परिपत्र

1. परिचय

1.1 अधिक उदार निर्यात ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को प्रोत्सहित करने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17 (3क) के अंतर्गत बैंकों को निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराता है। यह सुविधा पोतलदान-पूर्व और पोतलदानोत्तर स्तरों, दोनों पर बैंकों की पात्र बकाया स्पया निर्यात ऋण राशि के आधार पर दी जाती है। पुनर्वित्त की मात्रा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के रूझान के आधार पर समय-समय पर निर्धारित की जाती है।

2. सहभागी

2.1 विदेशी मुद्रा के प्रधिकृत व्यापारी समस्त अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) जिन्होंने निर्यात ऋण दिया है, निर्यात ऋण पुनर्वित्त का लाभ उठाने के पात्र हैं।

3. सीमा

3.1 वर्तमान में अनुसूचित बैंकों का दूसरे पूर्वगामी पखवाड़े के अंत में पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण के 50.0 प्रतिशत तक निर्यात ऋण पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है। पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात की परिभाषा अनुबंध I में दी गई है।

4. ब्याज दर

4.1 निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा रिपो दर पर उपलब्ध है। जो चलनिधि समायोजन सुविधा(एलएएफ) के अंतर्गत समय-समय पर यथा घोषित रिवर्स रिपो दर से संबद्ध है।

4.2 ब्याज मासिक अंतरालों पर देय होगा और दैनिक शेषराशियों पर गणना किये गये ऐसे ब्याज की राशि संबंधित महिने के अंत में अथवा पहले, जब बकाया शेष का निपटान कर दिया जाएगा, ऐसे अग्रिमों के खाते में नामे डाल दी जाएगी।

5. मार्जिन-अपेक्षा

5.1 कोई मार्जिन रखने की आवश्यकता नहीं है।

6. अवधि

6.1 मांग पर अथवा निर्धारित अवधि के समाप्त होने पर, जो एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं होगी, चुकौती की जा सकेगी।

7. संपार्श्विक

7.1 भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों के मांग वचन पत्र (डीपीएन) पर निर्यात ऋण पुनर्वित्त प्रदान करता है। मांग वचन पत्र के साथ इस आशय की घोषणा होनी चाहिए कि उन्होंने निर्यात ऋण दिया है। एवं पुनर्वित्त के लिए बकाया राशि भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये ऋण/अग्रिम से कम नहीं है।

8. न्यूनतम उपलब्ध राशि

8.1 इस सुविधा के अंतर्गत न्यूनतम उपलब्ध राशि एक लाख रुपये है और न्यूनतम से अधिक की राशि एक लाख रुपये के गुणजों में होगी।

9. प्राप्ति का स्थान

9.1 रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग वाले केंद्रों पर यह सुविधा प्राप्त की जा सकती है।

10. चुकौती

10.1 पुनर्वित्त की मांग पर अथवा 180 दिन के भीतर चुकौती करनी होगी।

11. दण्ड

11.1 निर्यात ऋण पुनर्वित्त की प्राप्ति में अनियमित बरतने वाले अनुसूचित बैंक के मामले में, बकाया ऋण अथवा ऋणों पर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित दर पर ब्याज वसूल किया जाएगा।

11.2 निर्यात ऋण पुनर्वित्त की प्राप्ति में अनियमित बरतने पर लागू दण्डात्मक दर वाले उदाहरण सारणी 1 में दिये गये हैं।

सारणी : निर्यात ऋण पुनर्वित्त की अनियमित प्राप्ति के उदाहरण

- क) कुल सीमा से अधिक निर्यात ऋण पुनर्वित्त का उपयोग
- ख) बैंकों द्वारा पुनर्वित्त सीमा की गलत गणना/रिपोर्टिंग
- ग) 180 दिनों के भीतर पुनर्वित्त की चुकौती न किया जाना
- घ) बैंकों द्वारा अधिक उपयोग किये जाने की रिपोर्टिंग में विलंब।

12. प्रलेखीकरण

12.1 बैंकों को निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का निष्पादन करना होता है : (संलग्नक II)

क) फॉर्म सं.डीएडी 297 में मुद्रांकित करार

ख) फॉर्म सं.डीएडी 295 ए में एक मांग वचन पत्र (डीपीएन)

ग) फॉर्म सं.डीएडी 298 में बोर्ड का संकल्प जिसमें इस योजना के अंतर्गत उधार लेने एवं बैंक की ओर से ऋण दस्तावेजों का निष्पादन करने वाले अधिकारियों को भी प्राधिकृत किया गया हो।

घ) सीमा बढ़ाने के लिए, फॉर्म सं.डीएडी 299 में एक पत्र जिसमें नयी सीमा के लिए समेकित मांग वचन पत्र (डीपीएन) के साथ सीमा बढ़ाने के लिए, करार की अवधि में विस्तार किया गया हो।

ड.) बैंकिंग विभाग के मैनुअल के पैराग्राफ 7.30 के अनुसार यदि विस्तार के पत्र एवं करार की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो उनका नवीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु, मांग वचन पत्रों का, लेन-देन की तारीख से तीन वर्ष के लिए उनकी वैधता के बावजूद, उनके निष्पादन की तारीखों से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति पर नवीकरण किया जाना चाहिए।

12.2 उधारकर्ता बैंक द्वारा फॉर्म सं. डीएडी 390 में निर्यात पुनर्वित्त पात्रता के विवरण के साथ फॉर्म सं.डीएडी.389 में एक पक्षिक घोषणा मौद्रिक नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक अपने बकाया निर्यात ऋण अग्रिमों के संबंध में इस योजना के अंतर्गत बकाया उधार राशियों की स्थिति की निगरानी कर सके।

13. रिपोर्टिंग - अपेक्षा

13.1 पुनर्वित्त का लाभ उठाने वाले बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संलग्नक III में दिये गये फॉर्मेट में, संबंधित तारीख से पाँच दिन के भीतर पुनर्वित्त के लिए पात्र अपने बकाया निर्यात ऋण की रिपोर्ट करें।

14. शर्त

14.1 यह आवश्यक है कि किसी बैंक द्वारा लिया गया जितना उधार बकाया हो, वह उसके बराबर, पात्र पोतलदानपूर्व अग्रिमों की राशि के निर्यात बिल/राशि (जैसाकि उनके नवीनतम घोषणापत्र में बताया गया हो), हमेशा अपने पास रखे। यदि किसी भी समय यह पाया जाए कि बैंकों द्वारा धारित बिलों की कुल राशि/घोषणा पत्र में उल्लिखित पात्र पोतलदान-पूर्व अग्रिमों की राशि उधार ली गई राशि से कम है तो उस बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये अतिरिक्त पुनर्वित्त का समायोजन/उसकी चुकौती तुरंत की जानी चाहिए।

15. संलग्नक

15.1 निर्यात ऋण पुनर्वित्त संविधा से संबंधित परिभाषाएँ, करार के फॉर्म और रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्रमशः संलग्नक I, संलग्नक II और संलग्नक III में दिए गए हैं।

16. परिशिष्ट

16.1 निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी परिपत्र परिशिष्ट में दिए गए हैं।

संलग्नक I परिभाषाएं

इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

i. "पखवाड़े" का आशय शनिवार से लेकर दूसरे अनुवर्ती शुक्रवार की अवधि से है जिसमें दोनों दिन शामिल हैं।

ii. "बैंक" अथवा "बैंकिंग कंपनी" से आशय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) में यथा परिभषित बैंकिंग कंपनी अथवा उसके खंड (डीए), खंड (एन सी) और खंड (एन डी) में क्रमशः यथा परिभषित किसी "तदनुसूची नया बैंक", "भारतीय स्टेट बैंक" अथवा "सहायक बैंक" है और जिसमें उस अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 के खंड (सीसीआई) में यथापरिभषित "सहकारी बैंक" शामिल हैं।

iii. "अनुसूचित बैंक" से आशय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक है।

iv. "निर्यात बिल" का आशय उधारकर्ता बैंक द्वारा साखपत्रों के अंतर्गत अथवा अन्यथा खरीदे गये/तयशुदा/भुनाये गये ऐसे सभी निर्यात बिल हैं जिनकी मीयाद 180 दिन से अनधिक है, जो भारत में, अथवा भारत से बाहर किसी ऐसे देश में जो आहरित हों जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य हो, अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत के राजपत्र में जिस देश का नाम इस प्रयोजन हेतु अधिसूचित किया हो तथा उस बैंक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणापत्र करने के लिए पात्र समझा जाएगा।

v. "पोत-लदान पूर्व ऋण" का आशय ऐसे ऋण से है जो बैंकों द्वारा वास्तविक निर्यातकों को, स्थानीय निर्यातक के पक्ष में विदेश में प्रतिष्ठित बैंकों द्वारा स्थापित साख पत्रों के आधार पर अथवा निश्चित निर्यात आदेश के आधार पर दिया जाता है और उधारकर्ता बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित दस्तावेज उसके पास जमा करा दिये गये हैं।

vi. "पुनर्वित्त के लिए पात्र निर्यात ऋण" का आशय दूसरे पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को कुल बकाया निर्यात ऋण से है जिसमें विदेशी मुद्रा में पोत-लदान पूर्व ऋण (पीसीएफसी), 'विदेश में निर्यात बिलों की पुनर्भुनाई' की योजना के अंतर्गत भुनाये गये/पुनःभुनाये गये निर्यात बिल, अतिदेय स्मया निर्यात ऋण तथा पुनर्वित्त के लिए अपात्र अन्य निर्यात ऋण, अन्य बैंकों/एक्विजम बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पास पुनः भुनाये गये निर्यात बिल

और निर्यात ऋण, जिसके आधार पर नाबार्ड/एक्विजम बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त किया गया है, घटा दिया गया हो।

संलग्नक II करार का फॉर्म

डीएडी 297

पैरा 7.50

माल के निर्यात के लिए बैंक-वित्त के संबंध में उधार लेने हेतु अनुसूचित बैंक के प्रधान कार्यालय से प्राप्त किये जाने वाले करार का फॉर्म (प्रत्येक राज्य में लागू मुद्रांक विधि के अनुसार करार के रूप में मुद्रांकित किया जाए)

भारतीय रिजर्व बैंक

महोदय,

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 (3 ए) के अंतर्गत और दिनांक 20 जनवरी 1969 के परिपत्र डीबीओडी सं.बीएम.78/सी. 297 (एम) - 69 के साथ संलग्न ज्ञापन में निहित शर्तों पर समय-समय पर आपके विवेकानुसार अग्रिम देने के लिए आपके सहमत होने पर, जो अग्रिम किसी भी अवसर पर रु. _____ (ब्याज को छोड़कर) से अधिक नहीं होंगे, जिसके लिए हमने यहाँ इसके बाद उल्लिखित दर से ब्याज वाला, आपके पक्ष में लिखा हुआ एक मांग वचन-पत्र आपको सुपुर्द किया है। अग्रिम मांग पर प्रतिदेय होंगे एवं वे आपके द्वारा यथा निर्धारित फॉर्मों में घोषणा के आधार पर आप द्वारा दिये जाएंगे। हम निम्नानुसार सहमत हैं :

उक्त अग्रिमों की किसी भी समय बकाया शेष राशि मांगने पर हमारे द्वारा आपको प्रतिदेय हेगी।

(2) इस करार के अंतर्गत अग्रिमों के प्रत्येक आहरण की परिपक्वता अवधि 180 दिन से अनधिक होगी एवं वह उक्त अवधि के भीतर हमारे द्वारा प्रतिदेय होगा।

(3) हमारे द्वारा आपको देय ब्याज मासिक अंतरालों पर, समय-समय पर आपके द्वारा अधिसूचित दर पर होगा और दैनिक शेष राशियों पर गणना किये गये इस प्रकार के ब्याज की राशि प्रत्येक संबंधित महीने के अंत में अथवा पहले, जब बकाया शेष राशि चुकता हो जाती है, उक्त अग्रिमों के खाते में नामे डाल दी जाए। इस बात का आपको अधिकार होगा कि आप अपने पास रखे गये हमारे चालू खाता में से इस प्रकार की नामे डाली गई ब्याज की राशि की स्वयं प्रतिपूर्ति कर सकेंगे।

(4) हम इस बात से सहमत हैं कि यहाँ दिये गये खंड (1) और (2) की शर्तों के अंतर्गत राशि की चुकौती में कोई चूक होने की स्थिति में, आप ऐसा करने के लिए किसी बाध्यता के बिना, उक्त अधिनियम की धारा 17 (3ए) के अनुसार मंजूर किये गये अग्रिम ऋण की राशि में से, हमारे द्वारा देय राशि को आपके पास रखे गये हमारे चालू खाते में नामे डाल सकते हैं।

(5) हम इस बात से सहमत हैं और वचन देते हैं कि निर्यातकों अथवा पुनर्वित्त के लिए पात्र अन्य व्यक्तियों को भारत से बाहर माल भेज सकने के लिए हमारे द्वारा मंजूर किये गये और किसी भी

समय आहरित एवं बकाया ऋण अथवा अग्रिम हमारे द्वारा आपसे लिये गये ऋण अथवा अग्रिम की बकाया राशि से कम नहीं होंगे । इसके अलावा, हम इस बात से भी सहमत हैं कि आपके पक्ष में ऐसा मार्जिन बनाये रखेंगे जो आप समय-समय पर निर्धारित करेंगे ताकि उसमें निर्धारित मार्जिन में कमी होने पर, हम आपके द्वारा मांग की जाने पर तुरंत नकद भुगतान द्वारा आपको देय शेष राशि में कमी कर देंगे ताकि अपेक्षित मार्जिन की राशि रखी जा सके ।

(6) हम इस बात से भी सहमत हैं कि इन अग्रिमों के जारी रहते हुए जब भी कभी आप द्वारा मांग की जाएगी, पुनर्वित्त के लिए पात्र वस्तुओं के निर्यात के संबंध में हमारे द्वारा दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि के बारे में तथा उधारकर्ताओं की शोधन-क्षमता के बारे में आपके द्वारा निर्धारित किये अनुसार सत्य रिपोर्टें आपको प्रस्तुत की जाएगी तथा इस प्रकार के किसी उधारकर्ता की स्थिति में किसी ऐसे परिवर्तन के बारे में, जो हमारी प्रतिभूति को पर्याप्त रूप से प्रभावित करने वाला समझा जाएगा, आपको सूचित किया जाएगा ।

(7) हम एतद द्वारा ऐसे दस्तावेज आपकी मांग पर आपके पक्ष में निष्पादित करने के लिए सहमत हैं जिससे पुनर्वित्त के लिए पात्र वस्तुओं के निर्यात के संबंध में हमारे द्वारा दिये गये अग्रिमों के रूप में हमारे बही ऋण समग्र रूप से आपके प्रभार में आ जाए अथवा आपके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रतिभूति आपके कब्जे में रहे तक वह किसी भी समय आपके द्वारा बेची जा सके अथवा अंतरित की जा सके ।

(8) हम निम्नलिखित मामलों में आप द्वारा निर्धारित उच्चतर दर पर ब्याज अदा करने के लिए सहमत हैं और वचन देते हैं; जहाँ

(क) अनुमत सीमा से अधिक निर्यात ऋण पुनर्वित्त का उपयोग किया गया हो,

(ख) पुनर्वित्त सीमाओं की गणना अथवा रिपोर्टिंग गलत ढंग से की गई हो,

(ग) हमारे खाते में पर्याप्त निधि नहीं होने के कारण निकासियां 180 दिन से अधिक की अवधि तक बकाया रही हो,

(घ) विलंब की अवधि के लिए हमारे द्वारा अधिक अथवा अनियमित उपयोग के बारे में रिपोर्ट करने में अधिक विलंब किया गया हो।

(9) हम इस बात से भी सहमत हैं कि यह करार और रु _____ का उक्त मांग वचन पत्र किसी भी समय जमा-शेष की स्थिति अथवा किसी आंशिक भुगतान अथवा खातों में घट-बढ़ अथवा प्रतिभूति के किसी भाग के वापस ले लिए जाने के बावजूद उक्त अग्रिम के लिए एक निरंतर जमानत के रूप में कार्य करेगा ।

भवदीय

_____ (अनुसूचित बैंक का नाम)

के लिए और की ओर से

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
(पदनाम)

स्थान:

दिनांक:

डीएडी 295 ए

(पत्रशीर्ष पर)

मांग वचन पत्र

(निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा)

मांगे जाने पर, हम (बैंक का नाम), भारतीय रिज़र्व बैंक को, या आदेश पर रु _____
(स्पष्ट _____) प्राप्त मूल्य के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा के लिए यथा घोषित रिवर्स रिपो दरों पर पूर्ण चुकौती के समय अथवा मासिक अंतरालों, जो भी पहले होगा, पर अदा करने का वचन देते हैं।

के लिए और की ओर से

स्थान :

दिनांक :

(2 हस्ताक्षरी और रसीदी टिकट)
दोनों हस्ताक्षरियों के नाम और पदनाम

निदेशक मंडल के संकल्प का नमूना

बोर्ड की - - - - - को आयोजित बैठक में पारित बोर्ड संकल्प सं. - - - - -
- - - - - की एक प्रति

संकल्प किया जाता है कि

(i) बैंक, पोत-लदान पूर्व ऋण योजना और/अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17 (3ए) के अनुसार निर्यात बिल ऋण योजना अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर लागू की जाने वाली शर्तों पर तथा अनुमोदित सीमा तक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण ले;

(ii) बैंक के निम्नलिखित अधिकारियों को एतद् द्वारा अलग-अलग रूप से भारतीय रिजर्व बैंक से उपर्युक्त सुविधाएं प्राप्त करने के लिए बैंक की ओर से आवश्यक करार, ऋण दस्तावेज, घोषणाएं, विवरण तथा प्रमाणपत्र तथा अन्य ऐसे लिखत और दस्तावेज जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में मांगे जाते हैं, निष्पादित करने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

फॉर्म 'डी'
डी ए डी- 299

दिनांक :

भारतीय रिजर्व बैंक
जमा लेखा विभाग
मुंबई - 400 001

प्रिय महेदय

दिनांक - - - - - के करार के संदर्भ में उसमें विनिर्दिष्ट रु - - - - -
- - - - - (स्पये - - - - -) को बढ़ाकर रु.-
- - - - - (स्पये - - - - -)

की एक नयी सीमा के लिए आपकी सहमति के प्रतिफलस्वरूप, जिस राशि के लिए मासिक अंतरालों के साथ - - - - - वार्षिक ब्याज वाला एक समेकित मांग वचन - पत्र हमने आपको सुपुर्द कर दिया है, हम इस बात से सहमत हैं कि उक्त करार की सभी शर्तें नयी सीमा पर तथा उसके संबंध में रु- - - - - (स्पये - - - - -)के समेकित मांग वचन पत्र और उसके अंतर्गत दिये गये अग्रिमों पर उसी रूप में लागू होंगी जैसी कि वे रु- - - - - - (स्पये - - - - - की सीमा पर और उसके संबंध में मांग वचन पत्र और उसके अंतर्गत दिये गये अग्रिमों पर लागू होती है।

भवदीय,

के लिए और की ओर से
(अनुसूचित बैंक का नाम)

संलग्नक III
रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स

फार्म डीएडी 389

बैंक का नाम _____ को
समाप्त पखवाड़े के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमा दर्शानेवाला विवरण

भाग क

(लाख रु.)

1. -----@*को बकाया निर्यात ऋण (यथा पुनः परिभषित) _____
2. निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमा (मद सं.1 की 50 प्रतिशत) _____

* पुनर्वित्त सीमाओं की गणना के प्रयोजन के लिए बकाया निर्यात ऋण, कुल बकाया निर्यात ऋण में से, विदेशी मुद्रा में पोत-लदान पूर्व ऋण (पीसीएफसी), 'विदेश में निर्यात बिलों की पुनर्भुनाई' की योजना के अंतर्गत भुनाए गये/पुनः भुनाये गये निर्यात बिल, पुनर्वित्त के लिए अपात्र अतिदेय स्मया निर्यात ऋण को घटाकर होगा, परंतु इसमें अन्य बैंकों/निर्यात-आयात बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पास भुनाये गये निर्यात बिल, निर्यात ऋण, जिसके आधार पर नाबाई/निर्यात-आयात बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त किया गया है, शामिल होंगे।

@ दूसरे पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया निर्यात ऋण

भाग - ख

_____ @की स्थिति के अनुसार कुल बकाया निर्यात ऋण

(लाख रु)

1. कुल बकाया निर्यात ऋण

उनमें से -

(i) अन्य बैंकों/निर्यात-आयात बैंक/वित्तीय संस्थाओं

के पास पुनर्भुनाये गये निर्यात बिल

(ii) निर्यात ऋण, जिसके आधार पर नाबार्ड/निर्यात-आयात

बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त किया गया है

(iii) विदेशी मुद्रा में पोत-लदान पूर्व ऋण

(iv) 'विदेश में निर्यात-बिलों की पुनर्भुनाई' योजना

के अंतर्गत भुनाये गये/पुनर्भुनाये गये निर्यात बिल

(v) अतिदेय स्रया निर्यात ऋण

(vi) उपर्युक्त (क से ख तक) हिसाब में न लिया गया

और पुनर्वित्त के लिए अपात्र निर्यात ऋण*

2. पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण मद

1 में से घटाएं [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(vi)]

_____ @ की स्थिति के अनुसार बकाया निर्यात ऋण

(लाख रु)

1. पोत-लदान पूर्व स्या निर्यात ऋण **

(i) 180 दिन तक _____

(ii) 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक _____

जोड़ (iii+iv) _____

2. पोत-लदानोत्तर स्या निर्यात ऋण **

(iii) 90 दिन तक _____

(iv) 90 दिन से अधिक और 180दिन तक जोड़ (iii+iv) _____

3.कुल स्या निर्यात ऋण (1+2) _____

@ दूसरे पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कुल बकाया निर्यात ऋण ।

* उदा. यदि पैकिंग ऋण 180 दिन से अधिक समय के लिए मंजूर किया गया है तो 180 दिन तक की अवधि के लिए बकाया राशियां मद 2 के सामने दर्शायी जानी चाहिए तथा 180 दिन से अधिक दिन की अवधियों के लिए बकाया राशि को मद 1(vi) के सामने दर्शाया जाना चाहिए।

** अतिदेय राशियों को मिलाकर

परिशिष्ट

परिपत्रों की सूची

क्र.सं.	परिपत्र सं.	विषय
1.	बैपविवि.सं.बीएम 2732/सी.297/के-63 13 मार्च 1963	निर्यात बिल ऋण योजना
2.	बैपविवि. सं. बीएम.78/सी.297(एम)-69 20 जनवरी 1969	पोत-लदान पूर्व ऋण का पुनर्वित्त
3.	बैपविवि.सं.बी.एम.931/सी.297पी-69 9 जून 1969	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(3ए) के अंतर्गत पुनर्वित्त - पोतलदान पूर्व ऋण योजना
4.	सीपीसी.सं. बीसी. 45/279ए-81 18 मार्च 1981	निर्यात पुनर्वित्त
5.	सीपीसी.सं.बीसी.46/279ए-81 27 मई 1981	निर्यात ऋण पुनर्वित्त पर ब्याज दर
6.	सीपीसी.सं.बीसी. 60/279ए-82 25 अक्टूबर 1982	निर्यात ऋण पुनर्वित्त पर ब्याज दर में परिवर्तन
7.	सीपीसी.सं.बीसी.64/279ए-83 अक्टूबर 1983	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
8.	सीपीसी.सं.बीसी.77/279ए-85 25 अक्टूबर 1985	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
9.	सीपीसी.सं.बीसी.79/279ए-86 1 अगस्त 1986	निर्यात ऋण पुनर्वित्त - ब्याज दर में परिवर्तन
10.	सीपीसी.सं.बीसी.91/279ए-88 2 अप्रैल 1988	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
11.	सीपीसी.सं.बीसी. 98/279ए-88 27 मार्च 1989	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
12.	सीपीसी.सं.बीसी.103/279ए-90 12 अप्रैल 1990	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
13.	सीपीसी.सं.बीसी.111/279ए-91 12 अप्रैल 1991	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
14.	सीपीसी.सं. बीसी.115/279ए-91 3 सितंबर 1991	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
15.	सीपीसी.सं.बीसी.116/279ए- 91 8 अक्टूबर 1991	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
16.	सीपीसी.सं. बीसी.122/279ए- 92 21 अप्रैल 1992	निर्यात ऋण पुनर्वित्त पर ब्याज दरें (स्पया) और पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण के लिए अमरीकी डॉलर में

		पुनर्वित्त
17.	सीपीसी.सं.बीसी.124/279ए-92 8 अप्रैल 1992	निर्यात ऋण पुनर्वित्त (स्मया) तथा अमरीकी डॉलर में निर्दिष्ट पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण की गारंटी पर पुनर्वित्त
18.	सीपीसी.सं.बीसी.129/07.01.279/92-93 7 अप्रैल 1993	निर्यात ऋण पुनर्वित्त (स्मया) तथा अमरीकी डॉलर में निर्दिष्ट पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण की गारंटी पर पुनर्वित्त
19.	सीपीसी.सं.बीसी. 132/07.01.279/93-94 11 अक्टूबर 1993	निर्यात ऋण पुनर्वित्त (स्मया) तथा अमरीकी डॉलर में निर्दिष्ट पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण की गारंटी पर पुनर्वित्त
20.	सीपीसी.सं.बीसी.136/07.01.279/93-94 14 मई 1994	निर्यात ऋण पुनर्वित्त (स्मया) तथा अमरीकी डॉलर में निर्दिष्ट पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण की गारंटी पर पुनर्वित्त
21.	सीपीसी.सं.बीसी.144/07.01.279/94-95 17 अप्रैल 1995	मीयादी जमा राशियों पर ब्याज दर
22.	सीपीसी.सं. 3559/03.02.15/94-95 20 अप्रैल 1995	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
23.	शबैवि.डीएस.एसयूबी.सीआइआर. 3/13.04.00/95-96 7 फरवरी 1996	अग्रिमों पर ब्याज दरें
24.	सीपीसी.सं.2101/03.02.01/95-96 15 जनवरी 1996	अमरीकी डॉलर में मूल्यवर्गित पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण पर पुनर्वित्त

25.	सीपीसी /03.02.01/95-96 7 फरवरी 1996	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
26.	सीपीसी.सं. 3466/03.02.01/95-96 4 अप्रैल 1996	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
27.	औनिऋवि. सं.10/04.02.01/96-97 19 अक्टूबर 1996	अग्रिमों पर ब्याज दरें - पोतलदानोत्तर स्मया ऋण
28.	सीपीसी.सं. 1067/03.02.01/96-97 23 अक्टूबर 1996	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
29.	सीपीसी.सं.2652/03.02.01/96-97 21 अप्रैल 1997	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
30.	मौनीवि. सं.2035/03.02.01/97-98 16 जनवरी 1998	रिज़र्व बैंक पुनर्वित्त
31.	सीपीसी.सं.2662/03.02.01/97-98 18 मार्च 1998	भारतीय रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधाओं पर ब्याज दरें
32.	मौनीवि.सं. 2932/03.02.01/97-98 2 अप्रैल 1998	भारतीय रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधाओं पर ब्याज दरें
33.	मौनीवि. सं. 3121/03.02.01/97-98 29 अप्रैल 1998	भारतीय रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधाएं
34.	मौनीवि.बीसी.सं. 177/07.01.279/97- 98 11 जून 1998	निर्यात ऋण पर ब्याज दर
35.	मौनीवि.49/03.02.01/98-99 8 जुलाई 1998	निर्यात ऋण पुनर्वित्त
36.	मौनीवि.बीसी.सं. 179/07.01.279/98- 99 6 अगस्त 1998	निर्यात ऋण और निर्यात ऋण पुनर्वित्त पर ब्याज दरें
37.	मौनीवि.सं. 1018/03.02.01/98-99 15 अक्टूबर 1998	निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाओं को दर्शाने वाला पक्षिक विवरण
38.	मौनीवि.बीसी.सं. 182/07.01.279/98- 99	बैंक दर और निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा

	1 मार्च 1999	
39.	मौनीवि.बीसी.सं. 184/07.01.279/98-99 1 मार्च 1999	निर्यात ऋण और निर्यात ऋण पुनर्वित्त पर ब्याज दरें
40.	मौनीवि. 3278/03.02.01/99-2000 1 अप्रैल 2000	निर्यात ऋण पुनर्वित्त और संपार्श्विकीकृत उधार सुविधाओं संबंधी ब्याज दरें
41.	मौनीवि. 3538/03.02.01/99-2000 27 अप्रैल 2000	उदारीकृत निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा
42.	मौनीवि.बीसी. 198/07.01.279/2000-01 21 जुलाई 2000	बैंक दर
43.	मौनीवि.बीसी.सं.200/07.01.279/2000-01 21 जुलाई 2000	निर्यात ऋण पुनर्वित्त और संपार्श्विकीकृत उधार सुविधा
44.	मौनीवि. 2992/03.02.01/2000-01 21 जुलाई 2000	स्थायी चलनिधि सुविधा योजना
45.	मौनीवि. 3115/03.02.01/2000-01 30 अप्रैल 2001	स्थायी चलनिधि सुविधा योजना
46.	मौनीवि.बीसी.सं.213/02.01.279/2001-02 18 मार्च 2002	निर्यात ऋण पुनर्वित्त योजना
47.	मौनीवि.बीसी. सं. 223/07.01.279/2002-03 29 अक्टूबर 2002	निर्यात ऋण पुनर्वित्त योजना
48.	मौनीवि. बीसी.सं.232/07.01.279/2002-03 29 अप्रैल 2003	निर्यात ऋण पुनर्वित्त योजना
49.	मौनीवि.बीसी.सं. 243/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003	स्थायी सुविधाओं का युक्तिकरण

50.	मौनीवि.बीसी.सं. 246/07.01.279/2003-04 25 मार्च 2004	बैंकों के लिए निर्यात ऋण और प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएं: युक्तिकरण
51.	मौनीवि.बीसी.सं.247/07.01.279/2003-04 7 अप्रैल 2004	निर्यात ऋण के लिए बैंकों को स्थायी चलनिधि सुविधाएं: युक्तिकरण
52.	मौनीवि.बीसी.सं. 252/07.01.279/2004-05 3 जुलाई 2004	निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा संबंधी मास्टर परिपत्र
53.	मौनीवि.बीसी.सं. 270/07.01.279/2005-06 1 जुलाई 2005	निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा संबंधी मास्टर परिपत्र
54.	मौनीवि.बीसी.सं. 275/07.01.279/2005-06 1 अक्टूबर 2005	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
55.	मौनीवि.बीसी.सं. 278/07.01.279/2005-06 24 जनवरी 2006	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
56.	मौनीवि.बीसी.सं. 281/07.01.279/2005-06 9 जून 2006	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
57.	मौनीवि.बीसी.सं. 282/07.01.279/2006-07 12 जुलाई 2006	निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा के लिए मास्टर परिपत्र
58.	मौनीवि.बीसी.सं. 284/07.01.279/2005-06 25 जुलाई 2006	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
59.	मौनीवि.बीसी.सं. 287/07.01.279/2005-06 31 अक्टूबर 2006	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
60.	मौनीवि.बीसी.सं.	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों

	289/07.01.279/2006-07 31 जनवरी 2007	हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
61.	मौनीवि.बीसी.सं. 290/07.01.279/2007-08 30 मार्च 2008	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
62.	मौनीवि.बीसी.सं. 300/07.01.279/2007-08 11 जून 2008	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
63.	मौनीवि.बीसी.सं. 301/07.01.279/2007-08 29 जुलाई 2008	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
64.	मौनीवि.बीसी.सं. 304/07.01.279/2007-08 24 जून 2008	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
65.	मौनीवि.बीसी.सं. 305/07.01.279/2007-08 20 अक्तूबर 2008	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
66.	मौनीवि.बीसी.सं. 308/07.01.279/2008-09 03 नवंबर 2008	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
67.	मौनीवि.बीसी.सं. 313/07.01.279/2008-09 6 दिसंबर 2008	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
68.	मौनीवि.बीसी.सं. 315/07.01.279/2008-09 2 जनवरी 2009	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
69.	मौनीवि.बीसी.सं. 319/07.01.279/2008-09 2 जनवरी 2009	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
70.	मौनीवि.बीसी.सं. 321/07.01.279/2008-09	बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधाएँ

	21 अप्रैल 2009	
--	----------------	--